न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

19
25/2/2025

आज्ञा – पत्र

नसीर मोहम्मद बनाम शबनम बानों वगैरहा किस्म मुकदमा –225 अपील संख्या – 2025/40

अभिभाषक अपीलांट – श्री अशोक कुमार मीणा अभि0 रेस्पो0 –

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.2.25	विद्वान अभिभाषक श्री अशोक कुमार मीणा की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल, जिला बारां के प्रकरण संख्या 27/2024 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24.12.2024 के विरूद्ध पेश की गई है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस अपील में एडमिशन पर सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना ही ग्राम उदयपुरिया तहसील मांगरोल जिला बारां की खाता संख्या 122 खसरा नं. 202/555 की 0.80 हैक्टर आराजी में रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर गंभीर कानूनी त्रुटि की है। हमने प्रस्तुत अपील का अद्योपान्त अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत अंतरिम आदेश दिनांक 24.12.2024 का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24.12.2024 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अंतरिम आदेश से अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.02.2025 नियत की है। प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है एवं प्रकरण वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 24.12.2024 अंतरिम प्रकृति का आदेश है। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण होना शेष है। अतः अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में नियत तारीख पेशी पर विधिक प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखकर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में अपील के वर्तमान स्तर पर प्रश्नगत प्रकरण में गुणावगुण पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। चूंकि प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है । अतः प्रकरण का शीघ्र ....2 (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

अंतिम निस्तारण किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 39 नियम 3 सी. पी.सी. की पालना करते हुए प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के संज्ञान में आने के उपरान्त 30 दिवस के भीतर उभयपक्षकारान को सुनकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तथा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/02/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

न्यायालय भू प्रबन्ध प्राधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा(राज0)

नसीर मोहम्मद पुत्र अलादीन जाति मुसलमान निवासी पाटुन्दा तहसील अन्ता जिला बांरा राजस्थान हाल निवासी ग्रागीण पुलिस लाईन के पास, हनुमान मन्दिर की गली, ईशाक ठेकेदार का मकान बोरखेड़ा कोटा राजस्थान

.... अपीलाण्ट

बनाम

1. शबनम बानो पुत्री नसीर मोहम्मद पत्नी नूर मोहममद निवासी पाटुन्दा तहसील अन्ता जिला बांरा राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील मांगरोल जिला बांरा (राज0)

.......रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बनाराजगी आदेश दिनांक 24.12.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बांरा प्रार्थना पत्र संख्या : 27/2024 बउनवान शबनम बानो बनाम नसीर मोहम्मद व अन्य

मान्यवर,

अपीलाण्ट निम्न निवेदन करता है :–

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्रम 1 द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मनगढन्त झूठे तथ्यो के आधार पर वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया गया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का भी प्रस्तुत किया जिस पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट के प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय सुनवाई कर वाद वर्णित भूमि खाता संख्या 122 के खसरा नम्बर 202/555 की 0.80 है0 वाके ग्राम उदपुरिया तहसील मांगरोल जिला बांरा मे स्थित भूमि के मौके व राजस्व रिर्कोड की यथास्थिति कायम करते हुये रिकोर्डेड खातेदार काबिज काश्त अपीलाण्ट/प्रतिवादी को पाबन्द करने का आदेश पारित किया गया जिसकी अप्रसन्नता से अपीलाण्ट माननीय न्यायालय मे निम्न कारणो से अपील प्रस्तुत कर रहा है–